राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 11 दिसम्बर, 1989

क्रमांक 1014-ज-(II)-89/34751.—श्री रघबीर सिंह, पुत्र श्री उमराओ सिंह, निवासी गांव बोन्दकलां, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 312-आर-4-66/1274, दिनांक 29 अप्रैल, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री रघबीर सिंह की दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रघबीर सिंह की विधवा श्रीमती रामकटोरी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 13 दिसम्बर, 1989

क्रमांक 1041-ज(2)-89/34974.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री लेखराम, गाँव इमलोटा, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी को रबी, 1969 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 14 दिसम्बर, 1989

क्रमांक 1042-ज-2-89/35057.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपना गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल श्री मोहर सिंह, पुत्र श्री हरद्वारी लाल, गांव बोन्द कलां, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 दिसम्बर, 1989

क्रमांक 1093-ज-(II)-89/35740.—श्री झुण्डा राम, पुत्र श्री बक्शी राम, निवासी गांव उमरवास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 194 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2983-ज-I-74/8671, दिनांक 31 मार्च, 1975 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1978 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री झुण्डा राम की दिनांक 10 सितम्बर, 1986 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर की श्री झुण्डा राम की विधवा श्रीमती नथिया के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।